न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 103/2018

बउनवान

राजेन्द्र पुत्र रामचरण जाति राठी निवासी चारणखेडी तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 18.1.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 303/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 27.2.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम चारणखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 378 की रकबा 0.80 है. भूमि पर फसल गेहूॅ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 400/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.7.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को वाके ग्राम चारणखेडी की आराजी खसरा नम्बर 378 रकबा 0.80 है. किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/– रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नही है, ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2015 की सर्वप्रथम दिनांक 28.7.2018 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी। इसके बाद दिनांक 29.6.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 2.7.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तामील प्रोपर करवायी गयी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा 2070 मे भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई मे अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो मे जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपीलांट का मुख्य कथन है कि पटवारी हल्का द्वारा उसके विरूद्व झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ओर प्रिन्टेड प्रोफार्मा मे नाम पता अंकित कर निर्णय दिया है, जो असंगत है। इस पर अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई को प्रकरण संख्या 303/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 27.2.2015 मे आदेश दिये जाते है कि ग्राम चारणखेडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2071 में खसरा नम्बर 378 की रकबा 0.80 है. की पुनः जॉच करवाई जावे कि अपीलांट का उक्त आराजी पर अतिक्रमण था अथवा नही यदि अपीलांट का अतिक्रमण होने की पुष्टि होती है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही बन्द की जाकर, अन्य व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां